

9

महत्वपूर्ण / विभागीय वेबसाईट

पत्र संख्या: अपर आयुक्त (पुलिस) / उपार्जित अवकाश // 2022-23//

574

//राज्य कर

कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उ०प्र०, लखनऊ
(पुलिस-कैम्प)

दिनांक :: लखनऊ :: 06 जनवरी, 2023

समस्त,

अपर आयुक्त ग्रेड-2(वि० अनु०शा०) राज्य कर,

उत्तर प्रदेश।

कृपया मुख्यालय के पत्र संख्या क्रमशः 447 दिनांक 29-01-2021, पत्र संख्या- 515 दिनांक 25-02-2021 एवं पत्र संख्या- 551 दिनांक 23-12-2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा पुलिस कर्मियों के उपार्जित अवकाश प्रार्थना पत्रों को कम से कम 30 दिवस पूर्व मुख्यालय को प्रेषित कराने के साथ ही मुख्यालय द्वारा अवकाश स्वीकृति के पश्चात् ही उनको अवकाश का उपभोग करने हेतु जोन / जनपद कार्यालयों से प्रस्थान कराये जाने के निर्देश दिये गये थे, परन्तु इसका अनुपालन किसी भी जोन द्वारा नहीं किया जा रहा है। मुख्यालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की बार-बार अनदेखी एवं उसको गम्भीरता से न लिया जाना उदासीनता का द्योतक है। यह स्थिति अत्यन्त ही खेदजनक है।

समसन्दर्भ में आपको अन्तिम रूप से निर्देशित किया जाता है कि पुलिस कर्मियों के उपार्जित अवकाश प्रार्थना पत्रों पर कुल शेष देय उपार्जित अवकाश की सूचना अंकित कराने के उपरान्त कम से कम 30 दिवस पूर्व अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित प्रत्येक दशा में मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें, जिससे मुख्यालय द्वारा अवकाश स्वीकृति की सूचना ससमय सम्बंधित जोनों को प्रेषित की जा सके। मुख्यालय द्वारा अवकाश स्वीकृति के पश्चात् ही सम्बंधित पुलिस कर्मियों को अवकाश का उपभोग करने हेतु जोन / जनपद कार्यालयों से प्रस्थान कराया जाय। यदि पुलिस कर्मियों के द्वारा मांगे गये उपार्जित अवकाश के प्रारम्भिक दिनांक के बाद के प्रार्थना पत्रों को आप द्वारा मुख्यालय को अग्रसारित किया जाता है तो उन प्रार्थना पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

जी. रंजित

AS
06-01-23

B. C. (I. T.)
06/01/23

5096

(प्रकाश स्वरूप पाण्डेय)

आई०पी०एस०

अपर आयुक्त (पुलिस) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या: व दिनांक: उक्त।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी राज्य कर मुख्यालय को आयुक्त महोदया के अवलोकनार्थ।
- 2- समस्त जोनल अपर आयुक्त राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- 3- संयुक्त आयुक्त (आई०टी०) राज्य कर, मुख्यालय लखनऊ को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
- 4- समस्त उपायुक्त (प्रशासन) राज्य कर उत्तर प्रदेश।

6/1/23

अपर आयुक्त (पुलिस) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।